कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 14/11/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.11.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट टीम व थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर व लूटेरे को किया पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा.315 बोर व 01अदद खोखा कारतूस 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 13.11.2025 को अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत अपराधियो के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना खानपुर व प्रभारी स्वाट मय टीम फरिदहां हाल्ट के पास संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि थोड़ी देर में 01 मोटरसाईकिल पर 02 व्यक्ति खानपुर की तरफ से आते हुए दिखाई दिये जिन्हें चेक करने के लिए रूकने का ईशारा किया गया तो मोटरसाईकिल सवार वाहन की गति तेज करते हुए अनौनी की ओर आगे बढ़े संदिग्धता की दशा में तत्काल मय थानाध्यक्ष मय हमराह व स्वाट टीम भाग रहे मोटरसाईकिल सवार उपरोक्त व्यक्तियों का पीछा किये तथा रात्रिधिकारी को सामने से घेरा बन्दी करने हेतु बताया गया पीछा करते हुए संयुक्त पुलिस टीम अनौनी मार्ग पर ही टड़वा के पास भाग रहे व्यक्तियों के नजदीक पहुंच कर रोकने का प्रयास किये तो मोटरसाईकिल सवार रूकते रूकते अनियंत्रित होकर मौके पर गिर गये जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो मोटरसाईकिल सवार मय मोटरसाइकिल मौके से भागने मे सफल रहा तथा दूसरा व्यक्ति अपने आप को घिरा देखकर टड़वा गांव के पास ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर पुलिस टीम पर फायर किया जाने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो एक बदमाश के बाये पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएचसी सैदपुर गाजीपुर उपचार हेतु भेजा गया। अन्धेरे का फायदा उठाकर 01 अन्य बदमाश मय मोटरसाइकिल मौके से भागने मे सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता घायल /गिरफ़्तार अभियुक्त-

1. अंगद यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी ग्राम रद्दीपुर थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)

बरामदगी-

1.01अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
3.01 अदद जिंदा कारतूस . 315बोर

आपराधिक इतिहास अंगद यादव उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 359/22 धारा 323/504/506/325/427 ipc थाना गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 173/23 धारा 379/411 ipc थाना नोनहरा गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 179/23 धारा 41/411 ipc व 3/25 arms act थाना खानपुर गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 69/24 धारा 307/419/420 ipc व 3/25 arms act थाना खानपुर गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 76/24 धारा 115(2)/352/351(3)/324(4) BNS थाना रामपुर मांझा गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 81/24 धारा 115(2)/352/351(3)/191(2) BNS थाना रामपुर मांझा गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 157/24 धारा 110/115(2)/352/117(2)/191(2) BNS थाना सैदपुर गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 321/25 धारा 109(1) BNS व 3/25 arms act थाना खानपुर गाजीपुर

02. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा 02 राशि गोवंश के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2025 को उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम इलायचीपुर से 01 नफर अभियुक्त 1.श्रवण यादव पुत्र महेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 राशि गोवंश बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 411/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता–

1. श्रवण यादव पुत्र महेन्द्र यादव नि0 ग्राम अडिला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 411/2025 धारा- 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 थाना जमानियां गाजीपुर

03. थाना सादात पुलिस द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को उसके परिजनों को किया गया सुपुर्द।

दिनांक 12.11.2025 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अन्तर्गत ग्राम इकरा में एक अज्ञात महिला जो मानसिक रुप से विक्षिप्त है, चोरी करने के इरादे से घूमते हुए ग्रामवासियो द्वारा पकड लिया गया है। थाना सादात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंच कर अज्ञात महिला से पूछताछ की गयी तो चोरी जैसी कोई घटना की पुष्टि नही हुई, अपितु महिला मानसिक रुप से विक्षिप्त और नाम पता बताने में असमर्थ पायी गयी। उक्त अज्ञात महिला के मिलने के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण को सूचित किया गया तथा महिला के परिजन व निवास स्थान की जानकारी हेतु महिला का फोटो पुलिस टीम द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य माध्यमो से प्रसारित कराया गया। प्रसारण से थाना सादात पुलिस टीम को अहम जानकारी प्राप्त हुई कि महिला का नाम शांति देवी (काल्पनिक नाम) पुत्री रामबदन यादव निवासी ग्राम कुजराव थाना तरवां जनपद आजमगढ उम्र करीब 45 वर्ष है जो मानसिक रुप विक्षिप्त होने के कारण दिनांक 12.11.2025 को घर से गुम हो गयी थी। महिला के परिजन को थाना सादात पर बुलाकर पहचान सुनिश्चित कराने के उपरान्त महिला के भाई अवधेश यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम कुजरांव थाना तरवां जनपद आजमगढ को सुपुर्द किया गया। परिजन द्वारा पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए सह्दय धन्यवाद किया गया।

04. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा हरे सागौन का पेड़ कटवाकर अवैध रुप से परिवहन करने के संबंध में पीकप गाड़ी व सागौन की लकड़ी के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.11.2025 को उ0नि0 भाईलाल मय हमराह द्वारा डाही नहर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान हरे सागौन का पेड़ कटवाकर अवैध रुप से परिवहन करने के संबंध में 03 नफर अभियुक्तगण 1.सत्यप्रकाश पुत्र पूर्णमासी राम 2. नसीम रायनी पुत्र मुख्तार 3. राजनरायन पुत्र सुदर्शन राम को गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 423/2025 धारा 26 वन्य अधि0 व 4/10 यूपी जी0टी0पी0 एक्ट व 3/28 अभिवहन परिवहन नियमावली अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सत्यप्रकाश पुत्र पूर्णमासी राम निवासी नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष
2. नसीम रायनी पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम पारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष
3. राजनरायन पुत्र सुदर्शन राम निवासी ग्राम सुसुन्डी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP65DT9046 व 25 अदद सागौन की लड़की ब्यास 6 इंच लगभग व ल0 7 फीट लगभग, 30अदद सागौन की लड़की ब्यास 3 इंच लगभग लगभग व ल0 6 फीट लगभग, 20अदद सागौन की लड़की ब्यास लगभग 2 इंच व ल0 लगभग 4 फीट, 10अदद सागौन की लड़की ब्यास लगभग 2 इंच व ल0 लगभग 3 फीट व जलौनी लकड़ी

05. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा 06 राशि गो वंश व 01 अदद पिकअप बोलेरो वाहन के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2025 को उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन जमानिया के पास से 01 नफर अभियुक्त आकाश यादव पुत्र जितेन्द्र यादव को 06 राशि गो वंश व 01 अदद पिकअप बोलेरो वाहन सं0 BR01GC6907 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 412/2025 धारा-109(1)बीएनएस व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.आकाश यादव पुत्र जितेन्द्र यादव नि0ग्राम लछीरामपुर मिर्जापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद पिकअप बोलेरो वाहन सं0 BR01GC6907 व 02 राशि गाय ,04 राशि बछड़ा

06. थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 211/2025 धारा 353(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2025 को ताड़ीघाट क्रासिंग पर चेंकिग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 211/2025 धारा 353(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त शेषनाथ यादव उर्फ बबलू यादव उर्फ श्रीयांश यादव पुत्र रविन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शेषनाथ यादव उर्फ बबलू यादव उर्फ श्रीयांश यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी ग्राम निरहू का पूरा प्राईमरी स्कूल के पास थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर